अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–173/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
1/6/21	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहारपद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा गंगड्डा थाना संख्या–313 अनाबादी खाता संख्या–279 दाग संख्या–722 रकबा–01 बीघा 15 कट्ठा 14 धूर किस्म–पोखर कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि मौजा–गंगड्डा के राजस्व पंजी–।। **भोल्यूम संख्या–। पेज संख्या–404** में दोउयाजान बीबी व मेहउजान बीबी ग्राम–गंगड्डा के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा स्पष्ट अनुशंसित मंतव्य अंकित किया गया है कि कायम जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने/कब्जा करने के प्रयास के तहत् फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 667/रा0 दिनांक 30.07.2016 से निर्गत प्रथम नोटिश तदुपरान्त पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्गत द्वितीय नोटिश, जिसकी प्राप्ति हस्ताक्षर सहित कार्यालय प्रति, जो अभिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर में पंजी–।। रैयत के प्रतिनिधि के द्वारा अनिबंधित सादा बन्दोबस्ती परवाना एंव एक सादा जमींदारकालीन भू–लगान रसीद के साथ–साथ ऑनलाईन राजस्व पंजी–।। भोल्यूम संख्या–01 पेज संख्या–404 की प्रति एंव वर्ष 2018–19 तक भुगतेय भुलगान रसीद समर्पित किया गया है। विपक्षी के उत्तराधिकारी द्वारा समर्पित दस्तावेज, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एंव राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। भुतपूर्व मध्यवर्त्ती द्वारा हुक्मनामा या पट्टा के द्वारा की गई बन्दोबस्ती की समीक्षा जमींदारी विवरणी से किया जाना आवश्यक होता है। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में सिर्फ तत्कालीन जमींदार द्वारा निर्गत कथित सादा हुक्मनामा एंव पट्टा तथा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व के मात्र एक भू–लगान रसीद के साथ साथ विपक्षी के पक्ष में ऑनलाईन कायम जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत दाग की भूमि पर दावेदारी की जा रही है। पंजी–।। के मामले में यह यह स्पष्ट है कि–**Mutation of a property in the revenue record does not creat or extyinguish title nor has it any presumptive value on title. It only enables the person in whose favour mutation is ordered to pay the land revenue in question.** संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी–।। के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि जिसका किस्म–गड़िया (पुष्करणी) है भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। सभी तथ्यों, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् निराधार कायम की गई है, जिसका सरकार एंव लोकहित में विलोपन आवश्यक है। अतः मौजा गंगड्डा थाना संख्या–313 अनाबादी खाता संख्या–279 दाग संख्या–722 रकबा रकबा–01 बीघा 15 कट्ठा 14 धूर किस्म–अनाबादी पोखर (पुष्करणी) का विपक्षी–सह–पंजी–।। रैयत दोउयाजान बीबी व मेहउजान बीबी ग्राम–गंगड्डा के नाम से नाम मौजा–गंगड्डा के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–। पेज संख्या–404 में निराधार कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित एंव संशोधित Digitally signed by RITESH JAISWAL Date: 2021.08.05 18:26:43 +05:30 Location: 2001:0:348b:fb58:3002:3d33:3f57:fffb 01/06/21 अंचल अधिकारी महेशपुर 01/06/21 अंचल अधिकारी महेशपुर	

Scanned with CamScanner